

(196)

3

संविलय कर्ता नाम् राजस्व मंडलदृष्टि रीवा जिला रोपटा ₹५०५०/-



R-2922-II/13

राधे जाति शुप्ता उमेश की गंगाधीन शुप्ता अंक-46 वर्ष किंवासी नहंबस्ती

दक्षिणकन्धर जिला सतना ₹५०५०/- अपीलार्थी

उमेश

दूसरी शुप्ता जाति गंगाधीन शुप्ता श्री लेठा जल्हील नामाद्य जिला

जिला ₹५०५०/- रेखा ३०

अपील विल अदिक्षा दिनांक ५-५-१३ [प्र०५०-४९७] ८०५०-४९७
नामाद्य श्री उमेश शुप्ता रीवा जिला [अपील/१२-१३]

मुख्यमन्त्री अनुर्यत धारा - ५५ ₹२५ रुपये रा. त.

निवालिकृत तथ्यों दे जाधार पर अपीलार्थी यह अपील

प्रस्तुत करता है :-

// प्रारंभ दो संशोधन विवरण //

- १- रेखा ३० शुप्ता जाति शुप्ता नामाद्य के नामाद्य में एक नामान्तरण घृणन्द श्रिक्रम- धारा - १०९-११० व०५० शुप्ता जिला है जहाँ देख दिया था, और एक अलग से लसीयतनामा दे जाधार पर दूसरा नामान्तरण - रण जाति जाति का अ०५०-१०७/३, रेखा - १.५०० एकद श्री लेठा जी जाति का लसीयतनामा के जाधार पर नामान्तरण दावा था या इन्हुंनी जी कर्त्त्व स्वाधारण तहसीलार वायदे बरीयतनामा को संशोधन करनी हुई उठा दिया है वरस्तु कर दिया।

- २- यह दिक्षा अदिक्षा से दूष्य होकर रेखा ३० में अनुचिताधीय दण्ड न्यायालय नामाद्य में अपील प्रस्तुत ही उपर न्यायालय ने भी रेखा ३० की अपील दिनांक - २१-२-१३ को निरस्त कर दिया जिससे दूष्य होकर न्यायालय श्री उमेश शुप्ता जाति शुप्ता रीवा जाति श्री अपील प्रस्तुत की जो एक स्वीकार कर दी गई जिससे दूष्य होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0-A.2922-II / 13

जिला-सतना

राधेलाल / बृजकिशोर

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. अनावेदक तथा अभिभाषक श्री जसराम विश्वकर्मा एडो उपस्थित।</p> <p>4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p>	 <p>सदस्य</p>